

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय
राजस्थान-बीकानेर

एक नजर

2010

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय

बीकानेर में स्थापित वर्ष 1950 में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग में विगत 53 वर्षों में शिक्षण संस्थाओं/अध्यापकों/कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए प्रशासनिक एवं शिक्षण व्यवस्था में गुणवत्ता सुधार की दृष्टि से राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-26/4/शिक्षा-1/93 पार्ट-II दिनांक 28.11.97 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के नाम दो अलग-अलग विभागों का गठन किया गया जिनका मुख्यालय बीकानेर में ही रखा गया । दोनों विभाग 1 जनवरी 1998 से पृथक-पृथक रूप से संचालित है । राज्य सरकार के आदेश दिनांक 8.5.99 के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग को पंचायत राज विभाग के अधीन कर दिया गया ।

वर्तमान में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर 7 उपनिदेशक तथा जिला स्तर पर 32 अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कम जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों साथ-साथ प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर 237 अतिरिक्त विकास अधिकारी (ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी) के कार्यालय संचालित है ।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में उपरोक्त कार्यालय के साथ-साथ राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर के साथ-साथ पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, बीकानेर एवं जिला स्तर पर 32 शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) भी संचालित है ।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों का विवरण एक दृष्टि से इस प्रकार है -

1. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय -	28251
2. राजकीय प्राथमिक विद्यालय -	47359
3. राजकीय पूर्व प्राथमिक -	07
योग -	75617

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में अध्यापकों का विवरण इस प्रकार है -

1. वरिष्ठ अध्यापक -	स्वीकृत -	31913
	कार्यरत -	13716
2. तृ.श्रे. अध्यापक -	स्वीकृत -	230150
	कार्यरत -	183168

प्रमुख उपलब्धियां

प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नति –

वर्षवार प्रारम्भ / क्रमोन्नत विद्यालय –

वर्ष	खोले गये प्राथमिक विद्यालय	प्रा.वि. से उ.प्रा.वि. में क्रमोन्नत विद्यालय
2004-05	2710	2443
2005-06	1201	1330
2006-07	15950 रा.गा.पा. को रा.प्रा. वि. में परिवर्तित किया गया	5000
2007-08	1532 वैकल्पिक विद्यालयों को प्रा.वि. में परिवर्तित किया गया एवं 576 नये प्राथमिक विद्यालय खोले।	6800
2008-09	20 नवीन प्राथमिक विद्यालय देवनारायण योजना के अन्तर्गत खोले गये	1000

छात्रवृत्ति आवंटन –

प्रारम्भिक शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को निम्नानुसार छात्रवृत्तियां प्रोत्साहन स्वरूप उपलब्ध बजट प्रावधान अनुसार दी जाती है –

क्र. सं.	छात्रवृत्ति	लाभान्वित वर्ग	स्तर	राशि	विशेष विवरण	
1	प्री-मैट्रिक	अ.जा., अ.ज.जा. एवं अ.पि.व.	कक्षा 6-8	छात्र 15 रु. प्र.मा छात्रा 20 रु. प्र.मा.		
2	अस्वच्छ छात्रवृत्ति (प्री-मैट्रिक)	अस्वच्छ कार्यों में लगे परिवार अ.जा., अ.ज.जा.	कक्षा 1-8	कक्षा 1-5 110रु. प्र.मा. कक्षा 6-8 110रु. प्र.मा.	एक मुश्त अनुदान 750/-	
3	अल्प संख्यक छात्रवृत्ति (प्री-मैट्रिक)	अल्प संख्यक समुदाय	कक्षा 1-10	कक्षा 6-10 (प्रवेश शुल्क) कक्षा 6-10 (शिक्षण शुल्क) कक्षा 1-10 (रखरखाव भत्ता)	500रु वार्षिक या वास्तविक जो कम हो 350रु प्रतिमाह या वास्तविक जो कम हो कुल 10 माह हेतु 100रु प्रतिमाह अधिकतम 10 माह	कक्षा 6-10 छात्रावासी विद्यार्थी हेतु रख रखाव भत्ता 600रु प्रतिमाह या वास्तविक व्यय जो भी कम हो

विगत पांच वर्षों का लेखा निम्नानुसार है –

वर्ष	लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या					
	अनु.जाति	व्यय राशि (लाख)	अनु. जनजाति	व्यय राशि (लाख)	अन्य पिछड़ा वर्ग	व्यय राशि (लाख)
2004-05	171826	180.71	144893	124.80	13803	12.23
2005-06	185186	183.31	161072	103.32	17600	12.83
2006-07	188234	181.96	176027	153.09	17635	11.63
2007-08	198166	181.20	172568	125.70	21215	11.40
2008-09	201486	181.85	156849	126.47	13514	12.19

आठवी बोर्ड परीक्षा परिणाम %				
मण्डल	वर्ष 05-06	वर्ष 06-07	वर्ष 07-08	वर्ष 08-09
जयपुर	70.44	69.93	68.90	70.80
जोधपुर	70.12	81.99	69.95	71.40
उदयपुर	71.16	81.28	66.92	66.10
भरतपुर	67.51	80.74	61.78	64.90
अजमेर	76.62	83.12	67.12	69.70
कोटा	60.49	73.68	57.18	62.60
चूरू	69.35	78.54	71.44	71.90
राज्य	69.38	78.47	67.38	69.10

निरीक्षण के मानदण्ड			
पदनाम	भ्रमण दिवस	रात्रि विश्राम	विद्यालय
निदेशक	48	36	
अति.निदे.	48	36	
संयु.निदेशक	48	36	
उप निदेशक	90	60	
जि.शि.अ.	90	60	

नोट:—1.विभागाध्यक्ष/अति.निदेशक/संयुक्त निदेशक द्वारा सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक कार्यालयों का वर्ष में एक बार एवं जिशिअ कार्यालयों का 50 % चालू वर्ष में एवं शेष 50 % आगामी वर्ष में निरीक्षण किया जाएगा।
2. उपनिदेशकों द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों का वर्ष में एक बार निरीक्षण किया जाएगा।
3. जि.शि.अ. द्वारा उनके अधीनस्थ कार्यालयों का वर्ष में एक बार निरीक्षण किया जाएगा।

निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना :

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करने की दृष्टि से नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि करने के लिए राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत समस्त बालक एवं बालिकाओं एवं माध्यमिक विद्यालय एवं सीनियर माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों डीपीईपी, एसएसए, वैकल्पिक विद्यालयों, नवाचारी शिक्षा केन्द्रों तथा मदरसा बोर्ड में पंजीकृत मदरसों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जा रही है। योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 में 40.56 करोड़ रुपये मूल्य की 3.33 करोड़ पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क वितरित की गई जिससे अनुमानित 81.59 लाख बालक-बालिकाएं लाभान्वित हुए हैं। सत्र 2009-10 में इस हेतु राशि प्रावधान रुपये 35.98 लाख है। विगत चार वर्षों का लेखा निम्नानुसार है -

विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
राशि	58.49 करोड़	35.96 करोड़	44.27 करोड़	40.56 करोड़
लाभान्वित विद्यार्थी	104.44 लाख	87.37 लाख	90.19 लाख	81.59 लाख

वर्षवार नियुक्ति का विवरण

सत्र 2004-05 से 2009-10 तक तृतीय श्रेणी अध्यापक/ प्रबोधक/ विशेष शिक्षक/विधवा-विवि/ट्रेनी पदों पर दी नियुक्तियों का विवरण

DATE-30-11-2009

YEAR	NON-PLAN	PLAN	CSS	SSA	TOTAL
2004-05	7933	905	209	4340	13387
2005-06	8457	1899	0	10990	21346
2006-07	267	100	0	822	1189
2007-08	444	243	0	24765	25452
2008-09	0	0	0	26207	26207
2009-10	0	0	0	102	102
	17101	3147	209	67226	87683

विद्यार्थी दुर्घटना बीमा 2007-08

उक्त योजनान्तर्गत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु लागू बीमा योजना का वर्ष 2008-09 का नवीनीकरण दिनांक 14.11.2009 से 13.11.2010 तक के लिए राशि 75.00 लाख रुपये स्वीकृत की गई तथा जिसका भुगतान निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर को किया जा चुका है। उक्त अन्तर्गत वर्तमान में 228 क्लेम हेतु 41.83 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

विकलांग एकीकृत योजना –

विकलांग बच्चों में अध्यापन के समय किसी प्रकार की हीन भावना उत्पन्न न हो, उनमें आत्मनिर्भरता एवं जीवन में चुनौतियों का सामना करने की क्षमता उत्पन्न हो, इसलिए उन्हें औपचारिक राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के साथ एकीकृत रूप से अध्यापन हेतु शत-प्रतिशत केन्द्र सहायता से राज्य में 32 जिलों में (प्रत्येक जिले में एक विद्यालय) विकलांग एकीकृत शिक्षा योजना संचालित है ।

अध्ययनरत विकलांग बच्चों को निम्न लाभ देय है –

- | | |
|----------------------|---|
| 1. पुस्तकें/स्टेशनरी | 400/– प्रति सत्र (वर्ष) |
| 2. पोषाक भत्ता | 200/– प्रति सत्र (वर्ष) |
| 3. वाहन भत्ता | 500/– प्रति सत्र (वर्ष) |
| 4. पाठ्य भत्ता | 400/– प्रति सत्र (वर्ष) (नेत्रहीन हेतु) |
| 5. उपकरण | 2000/– पांच सत्र हेतु |
| 6. एस्कोर्ट भत्ता | 75/– प्रति माह |

प्रारम्भिक शिक्षा के महत्वपूर्ण टेलीफोन नम्बर

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा	:	0151-2226551, 2226553 फैक्स - 0151-2226554
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) प्रारं. शिक्षा	:	0151-2226560
अतिरिक्त निदेशक (शैक्षिक) प्रारं. शिक्षा	:	0151-2226558
मुख्यलेखाधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा	:	0151-2226556
वरिष्ठ लेखाधिकारी, प्रारं. शिक्षा	:	0151-2202207
सहायक उपविधि परामर्शी, प्रारं. शिक्षा	:	0151-2226565
नोडल अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा	:	0151-2226562
एस.आई.ई.आर.टी. उदयपुर	:	0294-2415171
पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं	:	0151-2226570
ई.टी.सैल, अजमेर	:	0145-2627591

मण्डल कार्यालय

1. उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर	:	0141-2706730
2. उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर	:	0291-2631005
3. उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, अजमेर	:	0145-2620920
4. उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, चूरु	:	1562-250915
5. उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कोटा	:	0744-2387253
6. उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, भरतपुर	:	5644-224711
7. उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उदयपुर	:	0294-2415688

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय

1. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. जयपुर	:	0141-2703209
2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. सीकर	:	1572- 255728
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. अलवर	:	0144- 2347851
4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. दौसा	:	1427- 221189
5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. भरतपुर	:	5644- 224711
6. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. धौलपुर	:	5642- 221156
7. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. करौली	:	7464- 220640
8. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. स.माधोपुर	:	7462- 222026
9. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. उदयपुर	:	0294- 2416247
10. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. चित्तौड़	:	1472- 240649

11. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. प्रतापगढ	:	—
12. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. बांसवाड़ा	:	2962— 250052
13. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. डूंगरपुर	:	2964— 232713
14. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. राजसमंद	:	2952— 221547, 221951
15. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. अजमेर	:	0145— 2622553
16. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. भीलवाड़ा	:	1482— 250901
17. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. नागौर	:	1582— 242093
18. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. टोंक	:	1432— 243485
19. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. कोटा	:	0744— 2364066
20. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. बूंदी	:	0747— 2442909, 2446548
21. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. बारां	:	7453— 237034
22. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. झालावाड़	:	7432— 232283
23. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. चूरु	:	1562— 251303
24. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. बीकानेर	:	0151— 2226567, 2226571
25. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. झुंझुनू	:	1592— 235475
26. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. हनुमानगढ	:	1552— 266268
27. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. गंगानगर	:	0154— 2452370
28. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. जोधपुर	:	0291— 2510184
29. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. जालौर	:	2973— 223100
30. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. जैसलमेर	:	2992— 252118
31. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. पाली	:	2932— 221690
32. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. सिरोही	:	2972— 220332
33. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. बाड़मेर	:	2982— 221114, 226624
34. जिला शिक्षा अधिकारी, विधि, जयपुर	:	0141— 2227118
35. जिला शिक्षा अधिकारी, विधि, जोधपुर	:	0291— 2634814

विभाग के ई-मेल पते

eduele@rediffmail.com
aayukt.ele@gmail.com
aayukt_ele@yahoo.co.in

भारत की जनगणना – 2001

राजस्थान की जनसंख्या

1. जिलों की संख्या	–	32
2. क्षेत्रफल	–	3,42,239.74 वर्ग कि.मी.
3. जनसंख्या	–	व्यक्ति : 5,64,73,122 पुरुष : 2,93,81,657 स्त्रियां : 2,70,91,465
4. दशकीय जनसंख्या वृद्धि (1991–2001)		
(अ) वास्तविक	–	1,24,67,132
(ब) प्रतिशत	–	28.33
5. जनसंख्या घनत्व	–	165 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.
6. स्त्री–पुरुष अनुपात	–	922 स्त्री : 1000 पुरुष
7. 0–6 आयु समूह की जनसंख्या		
(अ) जनसंख्या	–	व्यक्ति : 1,04,51,103 पुरुष : 54,74,965 स्त्रियां : 49,76,138
(ब) जनसंख्या प्रतिशत	–	व्यक्ति : 18.51 पुरुष : 18.63 स्त्रियां : 18.37
8. साक्षरता दर		
(अ) कुल	–	व्यक्ति : 28086101 पुरुष : 18279511 स्त्रियां : 9806590
(ब) दर	–	व्यक्ति : 61.03 पुरुष : 76.46 स्त्रियां : 44.34

भारत में राजस्थान राज्य की स्थिति-2001

1. कुल जनसंख्या	भारत	राजस्थान
व्यक्ति :	1,027,015,247	56,473,122
पुरुष :	531,277,078	29,381,657
स्त्रियां :	495,738,169	27,091,465
2. दशकीय वृद्धि दर		
(अ) 1981-1991	23.86	28.44
(ब) 1991-2001	21.34	28.33
3. स्त्री-पुरुष अनुपात		
(अ) 1991	927	910
(ब) 2001	933	922
4. जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किलोमीटर)		
(अ) 1991	267	129
(ब) 2001	324	165
5. साक्षरता दर - 2001		
व्यक्ति :	65.38	61.03
पुरुष :	75.85	76.46
स्त्रियां :	54.16	44.34